

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश संख्या - 1192/NG/2019/Engg/SPJ

श्री देवेन्द्र कुमार साह, पुत्र श्री रामचन्द्र साह, ट्रैकमेन्टेनर-III लेवल-02, पदावनत पद पर ट्रैकमेन्टेनर-IV लेवल-01 अधीन वसेई/पथ/थानाबिहपुर, पूर्व मध्य रेलवे/सोनपुर मंडल, का श्री अविनाश कुमार आनन्द, पुत्र श्री बिजल राम, ट्रैकमेन्टेनर-IV, लेवल-01 अधीन सिसेई/रेल पथ/जनकपुर रोड/समस्तीपुर मंडल के साथ स्वयं के अनुरोध पर अन्तर मंडलीय पारस्परिक स्थानांतरण स्वीकृत है।

श्री देवेन्द्र कुमार साह, जो मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय(कार्मिक)/सोनपुर मंडल के पत्र संख्या:- का/283/05 /इंजी0/अम-अरे/सोन/2018/पार्ट-VII दिनांक 05.11.2019 द्वारा विरमित होकर इस कार्यालय में पदस्थापना हेतु दिनांक 07.11.2019 को रिपोर्ट किये हैं, को ट्रैकमेन्टेनर-IV के पद पर सिसेई/रेल पथ/जनकपुर रोड के अधीन पदस्थापित किया जाता है।

श्री देवेन्द्र कुमार साह के इस मंडल में रिपोर्ट करने की तिथि 06.11.2019 से कार्यालय आदेश जारी होने तक की अवधि को पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत अवधि मानी जाती है।

उक्त स्थानान्तरण कर्मचारी के अन्तर रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरण पर है अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है।


श्री अविनाश कुमार आनन्द, पुत्र श्री बिजल राम, ट्रैकमेन्टेनर-IV, लेवल-01 अधीन सिसेई/रेल पथ/जनकपुर रोड/समस्तीपुर मंडल के कार्यालय आदेश सं० का/283/अंतर मण्डल-रेल/पार्ट-II/सम/17 दिनांक 23.10.2019 के द्वारा सोनपुर मंडल हेतु विरमित किया जा चुका है।

यह सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित है।

श्री देवेन्द्र कुमार साह का फोटो, हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित है।



Devendra Kumar Sah



मंडल कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर

(आर० आर० लकड़ा)
मकाधि
कृते मंडलरेलप्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर

सं०- का/283/अंतर मण्डल-रेल/पार्ट-II/सम/17

दिनांक 07.11.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/पूर्व मध्य रेलवे./सोनपुर मंडल, -कृपया उपरोक्त कर्मचारी का ए०पी०ए०आर० एवं सेवा अभिलेख विधिक्षणोपरान्त इस मंडल को अविलम्ब भेजें।
2. वमई(समन्वय)/समस्तीपुर
3. वमविप्र./समस्तीपुर
4. समई /दरभंगा
5. सिसेई /रेल पथ/ जनकपुर रोड -कृपया कर्मचारी का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दे।
6. मुकार्याधी/इंजी० संवर्ग- कृपया उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करे।
7. मुकार्याधी/इंजी० बिल-कार्यालय में।
8. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो०/सम० मंडल।
9. संबंधित कर्मचारी
10. अभिलेख हेतु।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर

मंडल कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर